आयकर आयुक्त, जलपाईगुड़ी

बनाम

ओमप्रकाश मित्तल

22 फ़रवरी, 2005

[श्रीमती रूमा पाल, अरिजीत पसायत और सी.के. ठक्कर, जे.जे.]

आयकर अधिनियम, 1961; धारा 245:

आयकर निपटान आयोग-निपटान का आदेश-धारा 245-दायरा और इसकी सीमा निर्धारण किया गया-: निपटान का आधार किसी मामले के किसी भी चरण में निर्धारिती द्वारा एक आवेदन दाखिल करना है-आय का पूर्ण और सच्चा खुलासा विचार के लिए वैधानिक आवश्यकता है आवेदन में अघोषित आय पर अतिरिक्त कर निर्धारित सीमा से अधिक न होने का प्रावधान है, केवल इसलिए कि धारा 245(1) के तहत प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि निपटान का आदेश निर्णायक है, यह तय करने के लिए आयोग/राजस्व की शक्ति को नहीं छीनता है कि निपटान धोखाधड़ी या गलत बयानी से प्राप्त किया गया था या नहीं। गलत प्रस्तुति/धोखाधड़ी से आय का कोई सच्चा और निष्पक्ष खुलासा नहीं होता है, जो विधायी मंशा के खिलाफ है-चूंकि राजस्व ने स्थापित किया कि आदेश धोखाधड़ी/गलतबयानी से प्राप्त किया गया था, आयोग इस मुद्दे पर नए सिरे से निर्णय ले सकता है-कानून की व्याख्या के निर्देश जारी किए गए।

निपटान आयोग की निपटान की शक्ति-विस्तार पर चर्चा की गई।

आदेश बनाम मूल्यांकन-के बीच अंतर।

शब्दों और वाक्यांशों:

'मामला-आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 ए(बी) के संदर्भ में अर्थ।

प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने आयकर निपटान आयोग के समक्ष आयकर अधिनियम की धारा 245 सी के संदर्भ में निपटान के लिए एक आवेदन दायर किया। निर्धारिती ने दावा किया कि उसे ऋण के रूप में कुछ राशि प्राप्त हुई है, जैसा कि उसने आवेदन में बताया है। निपटान आयुक्त ने ऋण राशि को अग्रिम मानते हुए एक आदेश पारित किया। इस आदेश को राजस्व अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 245 डी(6) के तहत एक याचिका दायर करके चुनौती दी थी, जिसे आयुक्त ने खारिज कर दिया था। इसलिए राजस्व द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई।

राजस्व द्वारा यह तर्क दिया गया कि उनके द्वारा दायर आवेदन वास्तव में समीक्षा के लिए नहीं था; पिछली बेंच के फैसले पर अगली बेंच के अपील में बैठने का कोई सवाल ही नहीं था; अधिनियम की धारा 245 डी(6) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब किया जा सकता है जब आयोग द्वारा बाद में यह पाया गया कि समझौता धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था; जांच अधिकारी ने कहा था कि

कथित साहूकारों ने स्पष्ट रूप से कोई भी ऋण देने से इनकार कर दिया था; निर्धारिती के रुख में अंतर्निहित असंभवता थी कि सात व्यक्ति/साहूकार इतनी बड़ी रकम रखेंगे और उसी दिन नकद में पैसा देंगे; चूंकि कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था, असंबद्ध व्यक्तियों से मूल्यांकन के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रश्न, तथ्यों की गलत बयानी दिखाने के लिए पर्याप्त है; और प्रासंगिक समय तक ऋणदाताओं द्वारा आय का कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था।

निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि अंतिमता अधिनियम की धारा 245 डी (4) व धारा 245 औई के तहत पारित आदेश से जुड़ी है; यह आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था; राजस्व अधिनियम की धारा 245 डी(6) के संदर्भ में कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है; कि ऋण देने की क्षमता की कमी, कथित अंतर्निहित असंभावनाओं, या प्रमाण पत्र जारी करने के बाद अधिकारियों द्वारा एक अलग संस्करण देने के संबंध में केवल निराधार आरोप पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी हुई थी। इस प्रकार, आयोग ने राजस्व द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह पहले के आदेश की समीक्षा के बराबर होता और संक्षेप में यह पिछली पीठ के फैसले पर अपील में बैठने वाली अगली पीठ के समान होता।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. आयकर निपटान आयोग आयकर अधिनियम की धारा 245 सी के तहत दायर किसी भी आवेदन पर आगे बढ़ने के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 245 डी से स्पष्ट है। एक निर्धारिती उस आय के संबंध में अपने मामले के निपटारे के लिए आयोग से संपर्क नहीं कर सकता है जिसका पहले ही खुलासा किया जा चुका है क्योंकि विचार किया गया है कि यह संबंधित आय के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की प्रकृति में है। आयोग की निपटान की शक्ति का प्रयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। यद्यपि आयोग के पास आवेदक की आय का आकलन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और वह निपटान की शर्तों के साथ कोई आदेश नहीं दे सकता है जो अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होगा। धारा 245 सी शुरू करने का विधायिका का उद्देश्य यह देखना है कि मामलों के निपटारे का सहारा लेकर अधिकारियों या न्यायालयों के समक्ष लंबी कार्यवाही से बचा जा सके। इस प्रक्रिया में एक निर्धारिती अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से देय राशि में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं कर सकता है। [272-एच; 273-ए; 275-बी, जी-एच]

1.2. यह एक वैधानिक आवश्यकता है कि उप-धारा (4) के तहत पारित आदेश में एक शर्त को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें निर्दिष्ट

किया गया है कि यदि बाद में आयोग को पता चलता है कि यह धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया है तो निपटान अमान्य होगा। यह निर्णय लेना आयोग का काम है कि आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है या तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन यह कोई आवश्यकता नहीं है कि आयोग स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करे। यदि राजस्व के पास यह दिखाने के लिए सामग्री है कि आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया था, तो वह निश्चित रूप से उस मुद्दे पर निर्णय के लिए आयोग का रुख कर सकता है। अन्यथा, भले ही किसी दिए गए मामले में यह स्थापित करने के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री हो कि आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था, फिर भी आकस्मिक परिस्थिति के कारण शून्य आदेश प्रभावी रहेगा क्योंकि आयोग ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। [276-बी-सी-डी]

1.3. केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 2451 यह प्रावधान करती है कि निपटान का आदेश निर्णायक है, यह आयोग की यह तय करने की शक्ति को छीन नहीं लेता है कि क्या निपटान आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया था। कोई अन्य व्याख्या उपधारा (6) को निरर्थक बना देगी। [276-डी-ई]

2.1. निपटान का आधार एक आवेदन है जिसे निर्धारिती अपने से संबंधित मामले के किसी भी चरण में ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से दाखिल कर सकता है जो निर्धारित है। [276-जी]

2.2. धारा 245 सी के तहत आवेदन की मूलभूत आवश्यकता यह है कि आय का पूर्ण और सच्चा खुलासा किया जाना चाहिए, साथ ही जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई थी। [276-एच; 277-ए]

2.3. आयोग उस आय के संबंध में शक्ति का प्रयोग करता है जिसका खुलासा किसी भी कार्यवाही में अधिकारियों के समक्ष नहीं किया गया था, लेकिन याचिका में खुलासा किया गया है। ऐसा नहीं है कि उक्त याचिका में किसी भी प्रकार की अघोषित आय को आयोग के संज्ञान में लाया जा सकता है। यदि ऐसी अघोषित आय पर कर की अतिरिक्त राशि एक विशेष आंकड़े से अधिक है (जो अलग-अलग समय पर होती है पचास हजार रुपये या एक लाख रुपये से अधिक, जैसो भी मामला हो) तो आयोग क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। निर्धारिती को इसके अतिरिक्त आय का रिटर्न भी प्रस्तुत करना होगा जो उसे अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक था। [277-सी-डी]

2.4. एक उद्देश्य है कि विधायिका ने धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त आदेश को शून्य घोषित करने से संबंधित शर्त क्यों

निर्धारित की है। यदि कोई आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सही और निष्पक्ष खुलासा हुआ था। अधिनियम की धारा 139 के विपरीत, जो संशोधित रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान करती है, अधिनियम की धारा 245 सी के संदर्भ में किए गए आवेदन के संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। यह स्पष्ट विधायिका की मंशा दर्शाता है कि निपटान के लिए आवेदक को प्रारंभिक स्तर से ही सच्ची और निष्पक्ष घोषणा करनी होगी। प्राप्त आवेदन के आधार पर ही आयुक्त यह तय करने के लिए रिपोर्ट मांगते हैं कि आवेदन को खारिज कर दिया जाए या जारी रखने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार विचार की गई घोषणा छिपी हुई आय के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की प्रकृति में है, लेकिन यह सच्चा और निष्पक्ष प्रकटीकरण होना चाहिए। स्वैच्छिक प्रकटीकरण और आय का पूर्ण और सच्चा खुलासा करना आयोग के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें हैं। [277-ई-एफ-जी]

3.1. मौजूदा मामले में, आयोग वास्तव में धारा 245 डी(6) के वास्तविक दायरे और सीमा से चूक गया था। यदि राजस्व यह स्थापित करने में सक्षम था कि तथ्यों की गलत बयानी के कारण पिछला निर्णय अमान्य था, तो निश्चित रूप से उस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आयोग के लिए खुला था। इसे किसी भी तरह से पूर्व निर्णय की समीक्षा या बाद की बेंच पिछली बेंच के फैसले पर अपील कर रही है, नहीं कहा जा सकता।

इसके अलावा ऋण लेनदेन की वास्तविकता के संबंध में आयोग के निष्कर्ष बिना कारण बताए निकाले गए। इसमें केवल संबंधित रुख और निर्धारिती के वकील की दलीलों का उल्लेख किया गया है। यह मामले से निपटने का उचित तरीका नहीं था। [76-ई-एफ-जी]

3.2. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आयोग को इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मामले के तथ्यों पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। [278-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5334/1999

आयकर निपटान आयोग,अतिरिक्त पीठ, कलकत्ता में निपटान आवेदक क्रमांक 1/1/3/1989-आईटी के पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.1.99 से ।

मोहन परासरन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, टी.ए. खान, प्रीतीश कपूर, बी.वी. बलराम दास और सुश्री सुषमा सूरी अपीलकर्ता के लिए।

सी.एस. अग्रवाल, संजीव क्र. सिंह, प्रदीप क्र. मलिक और भार्गव वी. देसाई प्रतिवादी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अरिजीत पसायत, जे. -इस अपील में चुनौती आयकर निपटान आयोग, अतिरिक्त पीठ कलकत्ता (संक्षेप में 'आयोग') द्वारा पारित आदेश को है। आक्षेपित आदेश के अनुसार यह माना गया कि आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल-VIII, कलकत्ता (संक्षेप में 'सीआईटी') द्वारा 18.9.1990 को आयोग द्वारा पारित निपटान आदेश को शून्य घोषित करने और वापस लेने के लिए की गई प्रार्थना प्रतिवादी-निर्धारिती को दिए गए लाभ और उन्मुक्तियाँ स्वीकार्य नहीं थीं। दिनांक 18.9.1990 का आदेश आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 245 डी(4) के तहत पारित किया गया था। उक्त आदेश को शून्य घोषित करने के लिए सीआईटी द्वारा आवेदन कथित तौर पर अधिनियम की धारा 245 डी(6) के तहत किया गया था।

वर्तमान अपील में विवाद निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ है:

8.2.1989 और 9.2.1989 को प्रतिवादी (बाद में 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) के परिसर में एक तलाशी ली गई और कुछ बरामदगी की गई। निर्धारिती ने 13.1.1989 को अधिनियम की धारा 245 सी के तहत निपटान के लिए एक आवेदन दायर किया। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि निपटान के लिए आवेदन वित्तीय वर्ष 1985-86 में किया गया था। निपटान आयोग ने धारा 245 डी(4) के संदर्भ में 18.9.1990 को एक आदेश पारित किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयोग के समक्ष

निपटान के लिए आवेदन में निर्धारिती ने रुपये प्राप्त करने का दावा किया था। 31.3.1985 को सात व्यक्तियों से 1.5 करोड़ नकद। दावा किया गया कि ये सभी सात व्यक्ति सिक्किम के निवासी थे और ये रकम ऋण के माध्यम से प्राप्त की गई थी। प्राप्तियों का विवरण इस प्रकार है:

(i) रुपये श्री श्रीनिवास अग्रवाल, सिंगतम, सिक्किम से 20,00,000।

(ii) रुपये श्री हरि कृष्ण अग्रवाल, सिंगतम, सिक्किम से 20,00,000।

(iii) रुपये श्री केशु राम अग्रवाल, मेल्ली, सिक्किम से 20,00,000।

(iv) रुपये श्री सुभाष चौधरी, मिंडा, मेल्ली, सिक्किम से 20,00,000।

(v) रुपये श्री विनोद कुमार, मिंडा, मेल्ली, सिक्किम से 20,00,000।

(vi) रुपये श्री गौरी शंकर अग्रवाल मेल्ली, सिक्किम से 25,00,000, ।

(vii) रुपये श्री चंदूलाल अग्रवाल, मेल्ली, सिक्किम से 25,00,000।

उपरोक्त ऋणों की वास्तविकता साबित करने के लिए आयोग के समक्ष कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे। आयोग ने निर्धारिती के रुख को स्वीकार कर लिया और रुपये की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं जताया। 1.5 करोड़ रुपये ऋण के रुप में दिये जाने थे। ऐसा प्रतीत होता है कि

उपरोक्त ऋणों के संबंध में राजस्व के अनुरोध पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में 'सीबीआई') द्वारा जोरथांग, मेली और सिंगताम में पूछताछ की गई थी। सीबीआई की राय में कथित ऋणदाताओं के पास निर्धारिती को भारी ऋण देने के लिए कोई साधन या वित्तीय क्षमता नहीं थी और वे केवल नाम के ऋणदाता थे। जब जांच अधिकारी ने तथाकथित ऋणदाताओं से संपर्क किया, तो उन्होंने कोई ऋण देने से इनकार कर दिया। कथित तौर पर जारी किए गए कुछ प्रमाणपत्र प्रामाणिक नहीं थे। व्यक्तियों में से एक यानी सिलीगुड़ी नगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त श्री राबिन पॉल ने स्वीकार किया कि उन्हें लेनदेन के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी और इसलिए, निर्धारिती ने धोखाधड़ी करके प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। आगे तथ्य यह है कि कुछ ऋणदाता अर्थात् श्री गौरी शंकर अग्रवाल, सुभाष चौधरी। मिंडा और विनोद कुमार निपटान के आदेश के बाद मिंडा ने सिक्किम अधिकारियों को कर का भुगतान किया था। आयोग के सामने पहली बार में ऐसा पेश किया गया मानो वे करदाता हों। पूछताछ से पता चला कि श्री सुभाष चौधरी मिंडा का 1985-86 की अवधि तक का आयकर निर्धारण नहीं किया गया था। इसलिए, आयोग के समक्ष दी गई यह दलील कि सिक्किम के अधिकारियों के समक्ष उनका नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था, गलत थी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में सीआईटी द्वारा आयोग द्वारा पारित आदेश को शून्य घोषित करने और दिए गए लाभों को वापस लेने के लिए प्रार्थना की

गई थी। प्रस्ताव का निर्धारिती द्वारा विरोध किया गया था जिसके अनुसार आयोग का आदेश धारा 245 औई के संदर्भ में अंतिम था। पहले के आदेश की समीक्षा की कोई शक्ति नहीं थी और किसी भी स्थिति में आयोग ने तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया था। ताजा विश्लेषण का मतलब पहले के फैसले पर फैसला सुनाना होगा, जिसकी शक्ति आयोग के पास नहीं थी।

आक्षेपित आदेश द्वारा आयोग ने माना कि निर्धारिती के वकील द्वारा लिया गया रुख सही था। यह माना गया कि विभाग ने यह स्थापित नहीं किया था कि धारा 245 डी (4) दिनांक 18.9.1990 के तहत निपटान आदेश निर्धारिती द्वारा धोखाधड़ी और तथ्यों की गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था। आगे यह नोट किया गया कि धारा 245 डी(6) के तहत आयोग इस बात पर विचार नहीं कर रहा था कि क्या रुपये का ऋण। निर्धारिती द्वारा सात व्यक्तियों से लिए गए 1.5 करोड़ रुपये के दावे वास्तविक थे या नहीं। यह माना गया कि यदि आयोग ऋणों की वास्तविकता के संबंध में योग्यता के आधार पर जांच करेगा, तो यह उन साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन होगा, जिन्हे पहले ही पीठ द्वारा अवगत करा दिया गया था, और यह उस पर निर्णय लेने के समान होगा। पिछली बेंच द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर आयोग को अपने फैसले की समीक्षा करने की कानूनी तौर पर अनुमति नहीं थी। इसके अलावा यह माना गया कि सीबीआई की रिपोर्ट स्वीकार्यता के लायक नहीं है क्योंकि कथित ऋणदाता वास्तविक व्यक्ति थे जिनसे सीबीआई अधिकारियों ने

स्वीकार किया था कि उनसे संपर्क किया गया था। उनसे यह कहते हुए कोई बयान दर्ज नहीं कराया गया कि उन्होंने ऋण नहीं दिया है। इसलिए, धारा 245 डी(6) के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मोहन परासरन ने कहा कि आयोग का दृष्टिकोण कानूनी रूप से मान्य नहीं है। आयोग ने अधिनियम की धारा 245 डी (6) के तहत प्रयोज्य शक्ति के दायरे और दायरे को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा है। अपीलकर्ता-राजस्व द्वारा दायर आवेदन वास्तव में समीक्षा के लिए नहीं था। इसमें किसी भी समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं था। पिछली बेंच के फैसले पर अगली बेंच के अपील में बैठने का कोई सवाल ही नहीं था। धारा 245 डी(6) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब किया जाता है जब आयोग को बाद में पता चलता है कि समझौता धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया था। आयोग ने यह मानने के बाद कि अपीलकर्ता का मामला अधिनियम की धारा 245 डी(6) के अंतर्गत नहीं आता है, अचानक यह निष्कर्ष निकालकर निर्धारिती को क्लीन चिट दे दी कि निर्धारिती के वकील द्वारा प्रस्तुत रुख स्वीकार्य था। इसने राजस्व के इस रुख को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों के साक्ष्य मूल्य को भी हल्के से नजरअंदाज कर दिया कि निपटान आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया था। धोखाधड़ी और/या तथ्यों की गलत बयानी कहानी बयां करती है। जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कथित

ऋणदाताओं ने कोई भी ऋण देने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। निर्धारिती के रुख में अंतर्निहित असंभवता थी कि सात व्यक्ति बड़ी रकम रखेंगे और उसी दिन नकद में पैसा देंगे। चूंकि मूल्यांकन का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए असंबद्ध व्यक्तियों से मूल्यांकन के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना तथ्यों की गलत बयानी दिखाने के लिए पर्याप्त है। प्रासंगिक समय तक ऋणदाताओं द्वारा आय का कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि आयोग के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है।

जवाब में, निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सी.एस. अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि धारा 245 औई के संदर्भ में धारा 245 डी(4) के तहत पारित आदेश को अंतिम रूप दिया गया है। यह केवल आयोग है जिसके पास धारा 245 डी(4) के तहत पारित आदेश को रद्द करने की कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है यदि वह स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया था। राजस्व धारा 245 डी(6) के संदर्भ में कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता। इसके अलावा, आयोग द्वारा पहले सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया गया था। सीआईटी के पास निपटान के लिए आवेदन में दिए गए किसी भी बयान पर आपत्ति करने का पर्याप्त अवसर था। आयोग ने आवेदन पर विचार करते हुए इसमें शामिल पहलुओं पर विचार किया और आदेश पारित किया। ऋण देने की क्षमता की कमी, कथित अंतर्निहित असंभावनाओं, या

प्रमाण पत्र जारी करने के बाद अधिकारियों द्वारा एक अलग संस्करण देने के संबंध में केवल निराधार आरोप पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी हुई थी। इसलिए, आयोग ने सीआईटी द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह पहले के आदेश की समीक्षा के बराबर होता और संक्षेप में यह पिछली बेंच के फैसले पर अपील करने वाली अगली बेंच के समान होता।

धारा 245 ए से 245 वी अधिनियम के अध्याय XIXA के अंतर्गत आती हैं।

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 (संक्षेप में 'संशोधन अधिनियम') w.e.f 1.4.1976. से एक नया अध्याय XIX-A पेश किया गया था। आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा अध्याय XIX-A के तहत मामलों के निपटारे के लिए किया जाता है। धारा 245 ए(बी) में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति "मामला" किसी भी वर्ष या वर्षों के संबंध में किसी भी व्यक्ति की आय के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए या इस तरह के संबंध में अपील या संशोधन के माध्यम से अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही को संदर्भित करती है। मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन जो धारा 245 सी की उपधारा (1) के तहत आवेदन करने की तारीख पर किसी भी आयकर प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो सकता है। इसमें आगे प्रावधान है

कि जहां निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या आवेदन किया गया है और जिसे स्वीकार नहीं किया गया है, तो उसे धारा 245 ए के खंड (बी) के अर्थ में लंबित कार्यवाही नहीं माना जाएगा। अध्याय XIX-ए की योजना से पता चलता है कि निर्धारिती द्वारा आवेदन दाखिल करना एकतरफ़ा कार्य है, और विभाग को इसकी जानकारी नहीं हो सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि निपटान के लिए आवेदन धारा 245 सी के तहत दायर किया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। धारा 245 डी धारा 245 सी के तहत आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया से संबंधित है। इसकी उपधारा (1) के तहत आयोग निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवेदन को आगे बढ़ाने या खारिज करने की अनुमति दे सकता है। आयोग द्वारा याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के बाद ही वह निपटान की शक्ति का प्रयोग करता है।

अध्याय XIXA की एक बुनियादी विशेषता यह है कि यह उस आय से संबंधित है जिसका खुलासा आयकर अधिकारियों के समक्ष नहीं किया गया था। यह धारा 245 सी से स्पष्ट है जो इस प्रकार है:

> "धारा 245 सी मामलों के निपटारे के लिए आवेदन।
>
> 245 सी(1): एक निर्धारिती, अपने से संबंधित मामले के किसी भी चरण में, ऐसे फॉर्म में और ऐसे तरीके से

आवेदन कर सकता है जो निर्धारित किया जा सकता है, और जिसमें उसकी आय का पूर्ण और सच्चा खुलासा शामिल हो, जिसका खुलासा पहले नहीं किया गया हो। निर्धारण अधिकारी, जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई है, ऐसी आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, मामले को निपटाने के लिए निपटान आयोग को भेजेंगे और ऐसे किसी भी आवेदन का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद दिए गए तरीके से:

बशर्ते कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक, -

(ए) निर्धारिती ने आय का रिटर्न प्रस्तुत कर दिया है जिसे उसे इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक था; और

(बी) आवेदन में बताई गई आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि एक लाख रुपये से अधिक है।

(1ए) इस धारा की उपधारा (1) और धारा 245डी की उपधारा (2ए) से (2डी) के प्रयोजनों के लिए, उप के

तहत किएगए एक आवेदन में प्रकट की गई आय के संबंध में देय आयकर की अतिरिक्त राशि- इस धारा की धारा (1) उपधारा (1बी) से (1डी) के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी।

(1बी) जहां आवेदन में बताई गई आय केवल एक पिछले वर्ष से संबंधित है,-

(i) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय के संबंध में रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है (चाहे उस वर्ष की कुल आय के संबंध में मूल्यांकन किया गया हो या नहीं), तो, खंड के अंतर्गत आने वाले मामले को छोड़कर (iii), कर की गणना आवेदन में बताई गई आय पर की जाएगी जैसे कि ऐसी आय कुल आय थी;

(ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय के संबंध में रिटर्न प्रस्तुत किया है (चाहे ऐसे रिटर्न के अनुसरण में मूल्यांकन किया गया हो या नहीं), कर की गणना कुल रिटर्न और आय के योग पर की जाएगी आवेदन में इस प्रकार का खुलासा किया गया जैसे कि एेसी समग्रता कुल आय थी;

(iii) यदि आयकर प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही धारा 147 के तहत आवेदक के पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही की प्रकृति में है या ऐसे पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अपील या संशोधन के माध्यम से है, और आवेदक ने रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है पुनर्मूल्यांकन के लिए ऐसी कार्यवाही के दौरान उस वर्ष की कुल आय के संबंध में, धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 के तहत मूल्यांकन के लिए पहले की कार्यवाही में निर्धारित कुल आय के योग पर कर की गणना की जाएगी और आय का खुलासा किया जाएगा। आवेदन में इस प्रकार दर्शाया गया है जैसे कि ऐसा योग कुल आय हो।

(1सी) उपधारा (1बी) में निर्दिष्ट पिछले वर्ष से संबंधित आवेदन में बताई गई आय के संबंध में देय आयकर की अतिरिक्त राशि होगी,-

(ए) उस उपधारा के खंड (i) में निर्दिष्ट मामले में, उस खंड के तहत गणना की गई कर की राशि;

(बी) उस उपधारा के खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, उस खंड के तहत गणना की गई कर की राशि उस वर्ष के लिए

लौटाई गई कुल आय पर गणना की गई कर की राशि से कम हो जाएगी;

(iii) उस उपधारा के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामले में, उस खंड के तहत गणना की गई कर की राशि, धारा 143 के तहत मूल्यांकन के लिए पहले की कार्यवाही में निर्धारित कुल आय पर गणना की गई कर की राशि से कम हो जाती है या धारा 144 या धारा 147"।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

1.6.1987 से वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापन से पहले, उपधारा (1) का प्रावधान इस प्रकार था:

"बशर्ते कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन में बताई गई आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि पचास हजार रुपये से अधिक न हो।"

पहले परंतुक में शब्द "पचास हजार रुपए" को वित्त अधिनियम, 1995 से 1.7.1995 से से "एक लाख रुपए" अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.6.1987 से उपधारा (1बी) और (1सी) में कुछ बदलाव पेश किए गए थे जिनका वर्तमान अपील के लिए अधिक महत्व नहीं है।

जैसा कि धारा 245 डी से स्पष्ट है, आयोग धारा 245 सी के तहत दायर किसी भी आवेदन पर आगे बढ़ने के लिए बाध्य नहीं है। अब तक प्रासंगिक विशेष प्रावधान इस प्रकार हैं:

धारा 245 डी: धारा 245 सी के तहत आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया।

"245 डी(1)- धारा 245 सी के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, निपटान आयोग आयुक्त से एक रिपोर्ट मांगेगा और ऐसी रिपोर्ट में निहित सामग्रियों के आधार पर और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या इसमें शामिल जांच की जटिलता के कारण, निपटान आयोग, आदेश द्वारा, आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता है या आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई आवेदन तब तक खारिज नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो:

बशर्ते कि आयुक्त 1 जुलाई, 1995 को या उसके बाद धारा 245 सी के तहत किए गए सभी आवेदनों के मामले में निपटान आयोग से संचार की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यदि आयुक्त उक्त

अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहते है, तो निपटान आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना आदेश दे सकता है।

(2) × × ×

(2 ए) उप-धारा (2 बी) के प्रावधानों के अधीन, निर्धारिती उप-धारा (1) के तहत आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति देने वाले आदेश की एक प्रति की प्राप्ति के पैंतीस दिनों के भीतर अतिरिक्त भुगतान करेगा। आवेदन में बताई गई आय पर देय आयकर की राशि और निपटान आयोग को ऐसे भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2 बी) यदि निर्धारिती द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर निपटान आयोग संतुष्ट है, कि वह समय के भीतर उप-धारा (2 ए) में निर्दिष्ट आयकर की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए अच्छे और पर्याप्त कारणों से असमर्थ है। उस उप-धारा में निर्दिष्ट, यह उस राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है जो भुगतान नहीं किया गया है या किश्तों में उसके भुगतान की अनुमति दे सकता है यदि निर्धारिती उसके भुगतान के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करता है।

(2 सी) जहां उप-धारा (2 ए) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर आयकर की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो, निपटान आयोग ने उस राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ाया है या नहीं जो भुगतान नहीं किया गया है या उसके भुगतान की अनुमति दी है उप-धारा (2 बी) के तहत किश्तों में, निर्धारिती उप-धारा ने पैंतीस दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख से अवैतनिक शेष राशि पर पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा। (2 ए).

(2 डी) × × ×

(3) जहां किसी आवेदन को उप-धारा (1) के तहत आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, निपटान आयोग आयुक्त से प्रासंगिक रिकॉर्ड मांग सकता है और ऐसे रिकॉर्ड की जांच के बाद, यदि निपटान आयोग की राय है कि कोई मामले में पूछताछ या जांच आवश्यक है, यह आयुक्त को ऐसी आगे की जांच या जांच करने या कराने का निर्देश दे सकता है और आवेदन में शामिल मामलों और मामले से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

(4) उप-धारा (1) के तहत प्राप्त आयुक्त की रिपोर्ट और अभिलेखों की जांच के बाद, और उप-धारा (3) के तहत प्राप्त आयुक्त की रिपोर्ट, यदि कोई हो, और एक अवसर देने के बाद आवेदक और आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जाना चाहिए, और ऐसे अतिरिक्त सबूतों की जांच करने के बाद, जो उसके सामने रखे जा सकते हैं या उसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, निपटान आयोग प्रावधानों के अनुसार कर सकता है। इस अधिनियम में, आवेदन में शामिल मामलों और आवेदन में शामिल नहीं किए गए मामले से संबंधित किसी अन्य मामले पर, लेकिन उप-धारा (1) या उप-धारा (1) या उप- के तहत आयुक्त की रिपोर्ट में संदर्भित ऐसे आदेश पारित करें, जो वह उचित समझे। धारा (3)।

(5) × × ×

(6) उप-धारा (4) के तहत पारित प्रत्येक आदेश कर, जुर्माना या ब्याज के माध्यम से किसी भी मांग सहित निपटान की शर्तों का प्रावधान करेगा] जिस तरीके से निपटान के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान किया जाएगा और अन्य सभी मामले निपटान को प्रभावी बनाएं

और यह भी प्रावधान करें कि निपटान आयोग को बाद में पता चलता है कि यह धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया है तो निपटान शून्य हो जाएगा।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

धारा 245 सी की उप-धारा (1) यह स्पष्ट करती है कि अपने से संबंधित मामले के किसी भी चरण में एक निर्धारिती अपनी आय का पूरी तरह और सही खुलासा करते हुए आयोग को एक आवेदन कर सकता है, जिसे मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। इसे अलग ढंग से कहें तो, एक निर्धारिती उस आय के संबंध में अपने मामले के निपटान के लिए आयोग से संपर्क नहीं कर सकता है जिसका खुलासा पहले ही निर्धारण अधिकारी के समक्ष किया जा चुका है। जैसा कि विचार किया गया है, प्रकट की गई आय संबंधित आय के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की प्रकृति में है।

निपटान आयोग की शक्तियों और प्रक्रिया से संबंधित धारा 245 एफ में प्रावधान है कि अध्याय XIX-ए के तहत निपटान आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अलावा, इसमें वे सभी शक्तियां हैं जो अधिनियम के तहत आयकर प्राधिकरण में निहित हैं। उप-धारा (2) अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह प्रदान करती है कि जहां धारा 245 सी के तहत किए गए आवेदन पर धारा 245 डी के तहत आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है, आयोग तब तक

ऐसा करेगा जब तक कि धारा की उप-धारा (4) के तहत कोई आदेश पारित न हो जाए। 245 डी, उस धारा की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, मामले के संबंध में अधिनियम के तहत आयकर प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों को करने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार है। संक्षेप में, आयोग आवेदन पर आगे बढ़ने का निर्णय लेने के बाद मामले से निपटने के लिए क्षेत्राधिकार मानता है और धारा 245 डी के तहत आदेश देने तक उसका अधिकार क्षेत्र बना रहता है। धारा 245 डी(4) चार्जिंग धारा है और उपधारा (6) आदेश को प्रभावी बनाने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों को निर्धारित करती है। यह ध्यान रखना होगा कि धारा 245 डी में प्रयुक्त भाषा "आदेश" है न कि "आकलन"। आदेश को मूल मूल्यांकन या नियमित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। उस अर्थ में, आयोग एक पूर्ण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

आयोग की निपटान की शक्ति का प्रयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। यद्यपि आयोग के पास आवेदक की आय का आकलन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और वह निपटान की अवधि के साथ कोई आदेश नहीं दे सकता है जो कर और ब्याज की मात्रा और भुगतान जैसे अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के साथ टकराव में होगा। धारा 245 सी को लागू करने में विधायिका का उद्देश्य यह देखना है कि मामलों के निपटारे का सहारा लेकर अधिकारियों या न्यायालयों के समक्ष लंबी कार्यवाही से बचा जाए। इस प्रक्रिया में एक निर्धारिती अधिनियम के

तहत वैधानिक रूप से देय राशि में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं कर सकता है।

धारा 245 डी(6) को पढ़ने से पता चलता है कि उप-धारा (4) के तहत पारित प्रत्येक आदेश में निपटान की शर्तें प्रदान की जानी चाहिए और यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि यदि बाद में आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि समझौता रद्द कर दिया जाएगा। इसे धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया है। निर्धारिती की यह दलील कि यह पता लगाने के लिए कि क्या आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया है, आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, उक्त उपधारा में वर्णित नहीं है। यह एक वैधानिक आवश्यकता है कि उप-धारा (4) के तहत पारित आदेश में एक शर्त को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि यदि बाद में आयोग को पता चलता है कि यह धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया है तो निपटान अमान्य होगा। यह निर्णय लेना आयोग का काम है कि आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है या तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन यह कोई आवश्यकता नहीं है कि आयोग स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करे। यदि राजस्व के पास यह दिखाने के लिए सामग्री है कि आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया था, तो वह निश्चित रूप से उस मुद्दे पर निर्णय के लिए आयोग का रुख कर सकता है। अन्यथा, भले ही किसी दिए गए मामले में

यह स्थापित करने के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री हो कि आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था, फिर भी आकस्मिक परिस्थिति के कारण शून्य आदेश प्रभावी रहेगा क्योंकि आयोग ने स्वत: संज्ञान नहीं लिया है। कार्यवाही. केवल इसलिए कि धारा 245 औई यह प्रावधान करती है कि निपटान का आदेश निर्णायक है, यह आयोग की यह तय करने की शक्ति को छीन नहीं लेता है कि निपटान आदेश ई धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया था। कोई अन्य व्याख्या उपधारा (6) को निरर्थक बना देगी। आयोग वास्तव में धारा 245 डी(6) के वास्तविक दायरे और दायरे से चूक गया था। यदि सीआईटी यह स्थापित करने में सक्षम थी कि तथ्यों की गलत बयानी के कारण पिछला निर्णय अमान्य था, तो निश्चित रूप से उस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आयोग के लिए खुला था। किसी भी तरह से इसे पहले के फैसले की समीक्षा या पिछली बेंच के फैसले पर अगली बेंच के अपील में बैठना जैसा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा ऋण लेनदेन की वास्तविकता के संबंध में आयोग के निष्कर्ष बिना कारण बताए निकाले गए। इसमें केवल संबंधित रुख और निर्धारिती के वकील की दलीलों का उल्लेख किया गया है। यह मामले से निपटने का उचित तरीका नहीं था।'

निपटान का आधार एक आवेदन है जिसे निर्धारिती अपने से संबंधित मामले के किसी भी चरण में ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से दाखिल कर सकता है जो निर्धारित है। वैधानिक आदेश यह है कि आवेदन में उस आय

का "पूर्ण और सच्चा खुलासा" शामिल होगा जिसे मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है, जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई है। धारा 245 सी के तहत आवेदन की मूलभूत आवश्यकता यह है कि आय का पूर्ण और सच्चा खुलासा किया जाना चाहिए, साथ ही जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई थी। आवेदन प्राप्त होने पर, आयोग आयुक्त से रिपोर्ट मांगता है और रिपोर्ट में शामिल सामग्री के आधार पर और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों या उसमें शामिल जांच की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, वह आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या आवेदन को धारा 245 डी(1) के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दें।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयोग आय के संबंध में शक्ति का प्रयोग करता है जो किसी भी कार्यवाही में अधिकारियों के सामने प्रकट नहीं किया गया था, लेकिन धारा 245 सी के तहत याचिका में खुलासा किया गया है। ऐसा नहीं है कि उक्त याचिका में किसी भी प्रकार की अघोषित आय को आयोग के संज्ञान में लाया जा सकता है। यदि ऐसी अघोषित आय पर कर की अतिरिक्त राशि एक विशेष आंकड़े से अधिक है (जो अलग-अलग समय पर पचास हजार रुपये या एक लाख रुपये से अधिक हो, जैसा भी मामला हो) तो आयोग अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। निर्धारिती को इसके अतिरिक्त आय का रिटर्न भी प्रस्तुत करना होगा जो उसे अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक था। संक्षेप में आवश्यकता यह है कि प्रस्तुत रिटर्न में आय का खुलासा

किया जाना चाहिए और धारा 245 सी के तहत एक याचिका द्वारा आयोग को अघोषित आय का खुलासा किया जाना चाहिए।

एक उद्देश्य है कि विधायिका ने धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त आदेश को शून्य घोषित करने से संबंधित शर्त निर्धारित की है। यह नहीं कहा जा सकता कि आय की सही और निष्पक्ष घोषणा की गई है जो आयोग द्वारा निपटान के लिए पूर्व-आवश्यकता है। यदि कोई आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सही और निष्पक्ष खुलासा हुआ था। यहां यह नोट किया गया कि अधिनियम की धारा 139 के विपरीत, जो संशोधित रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान करती है, धारा 245 सी के संदर्भ में किए गए आवेदन के संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। यह स्पष्ट विधायी मंशा दर्शाता है कि निपटान के लिए आवेदक को प्रारंभिक स्तर से ही सच्ची और निष्पक्ष घोषणा करनी होगी। प्राप्त आवेदन के आधार पर ही आयुक्त यह तय करने के लिए रिपोर्ट मांगते हैं कि आवेदन को खारिज कर दिया जाए या जारी रखने की अनुमति दी जाए। धारा 245 सी में विचार की गई घोषणा छिपी हुई आय के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की प्रकृति में है, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह सत्य और निष्पक्ष प्रकटीकरण होना चाहिए। स्वैच्छिक प्रकटीकरण और आय का पूर्ण और सच्चा खुलासा करना आयोग के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में आयोग को मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश देना उचित होगा। पार्टियों के लिए यह खुला होगा कि वे अपने संबंधित रुख के समर्थन में कोई भी अतिरिक्त सामग्री विचारार्थ रख सकें। आयोग उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मामले पर नए सिरे से निर्णय लेगा। हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हमने मामले के तथ्यों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। लागत आसान हो गई।

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निधि तुनवाल (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।